



राजस्थान की राजनीति में महिलाओं की भूमिका (14वीं व 15वीं विधानसभा का तुलानात्मक अध्ययन)

गरिमा यादव

रिसर्च स्कोलर, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर, राजस्थान, भारत

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में राजस्थान की राजनीति में महिलाओं की भूमिका का अध्ययन राजनीतिक दृष्टिकोण से किया गया है। इस शोध पत्र के अन्तर्गत राजस्थान की विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, राजनीति में महिलाओं का प्रवेश तथा राज्य में नवीन क्षेत्रीय दलों का अध्ययन किया गया है। जब हम राजस्थान की राजनीति में महिलाओं की भूमिका की बात करते हैं तो भारत के इतिहास में राजस्थान की वीरांगनायों का स्थान अद्वितीय रहा है। रानी कर्मवती, पद्मनि, हाड़ी रानी, मीरा, ब्रजकुमारी, चारण कवयित्री साधु जैसी विदुषी और चौहान रानी झालनदेवी व रानी सोमल देवी जैसी प्रशासनिक महिलाएँ हुई हैं। आधुनिक युग में नारायणी देवी, अंजना देवी, रमा देवी, भगवती देवी स्नेलता वर्मा, कालीबाई, आदि महिलाओं सक्रिय योगदान दिया। यद्यपि राजस्थान का एककीकरण 30 मार्च 1949 को हुआ किन्तु प्रथम विधानसभा का गठन मार्च 1952 में हुआ अब तक 15 विधानसभाएँ गठित हो चुकी है। इनमें 1079 महिलाओं ने चुनाव लड़ा 198 निर्वाचित होकर विधानसभा तक पहुँची। 14वीं विधानसभा में 172 महिलाओं ने चुनाव लड़ा जिसमें से 28 महिला चुनाव जीत दर्ज की तथा 15वीं विधानसभा में 189 महिलाओं ने चुनाव लड़ा और 24 महिलाएँ चुनाव में जीत दर्ज की। राजस्थान से अभी तक विधायक रही महिलाओं ने विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मन्त्रिमण्डल तथा मन्त्रिपरिषद्, तथा विभिन्न समितियों के सभापति जैसे महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया है दूसरी विधानसभा के कार्यकाल में कोई महिला विधायक मन्त्रिपरिषद् में नहीं रहीं शेष सभी विधानसभाओं में शासन संचालन में महिलाओं की भागिदारी रहीं। श्री मति कमला को राजस्थान सरकार में पहली महिला उपमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। राजस्थान की विधानसभा में विधायक रही महिलाओं में अनेक ऐसी महिला हे जिन्होंने संसद में भी राजस्थान का प्रतिनिधित्व भी किया है। श्रीमति कृष्णदेकोर, वसुंधरा राजे, डा. गिरिजा व्यास, दिव्या सिंह, निर्मला कुमारी, संतोष अहलावत लोकसभा में प्रतिनिधित्व दिया तथा राज्यसभा में सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व शारदा भार्गव लगातार तीन कार्यकाल तक राज्यसभा सदस्य रही। श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, श्रीमती शान्ती पहाडिया राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है।

मूल शब्द: महिला, राजनीति, विधानसभा, दलगत स्थिति, सहभागिता, प्रतिनिधित्व, विधायक, भूमिका

प्रस्तावना

महिलाओं का राजनीति में प्रवेश

महिलाएँ प्रथम विश्वयुद्ध के समय से ही राजनीति से परिचित हो चुकी थी। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद कुछ महिला संगठनों के बनने, कुछ महिला नेताओं के उभरने तथा कुछ राजनीतिक संगठनों में संगठनों में महिलाओं के भाग लेने की पृष्ठभूमि के कारण कांग्रेस को अपने आंदोलनकारी कार्यक्रमों में महिलाओं को शामिल करना संभव हो सका। एक कथित स्वर्ण युग की दुहाई देकर महिलाओं की राजनीतिक भूमिका को मान्यता मिली और राजनीतिक रणनीतिकारों ने महिलाओं के लिए जो गतिविधियाँ तय की वह स्त्रियों की सामाजिक, लिंगीय विचारधारा या प्रतिमानों के अनुरूप नहीं थी एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू जैसी महिला नेताओं ने कांग्रेस में महिलाओं की मौजूदगी तथा पहल करने का जो अहसास दिलाया उससे प्रेरित होकर महिलाओं ने राजनीति में शामिल होने की सोची। उन्हें राजनीतिक लक्ष्यों के साथ अपनी स्थिति व दर्ज में सुधार की आशा भी जगी। स्वतंत्रता के बाद चुनाव या विधायिका जैसे मंचों से जुड़ी औपचारिक राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत सीमित रही है। स्वशासन और लोकतंत्र में चुनाव एक मंच भी हैं और इन संस्थाओं का माध्यम भी इसलिए वंचित अभावग्रस्त तबको कि समस्याओं की तरफ राष्ट्र का ध्यान आकर्षित करने की दिशा में चुनावों का काफी महत्व है। राष्ट्रीय संसद और राज्य विधानसभाओं को अस्तित्व में लाने का उपकरण होने के चलते चुनावों के क्या नतीजे क्या होते हैं इसके काफी प्रभाव पड़ता है। यानि चुनाव में कौनसे उम्मीदवार और पार्टीयों जीतती या हारती है। उससे संभावित नीतियों और महिलाओं के विकास के लिए उठाये जाने वाले कदमों के बारे में काफी कुछ साफ हो जाता है लेकिन अनेक अध्ययनों ने इस तथ्यों की तरफ इशारा किया है। कि चुनाव में महिलाओं की हिस्सेदारी न केवल उम्मीदवार के तौर पर बल्कि मतदाता के रूप में भी बहुत सीमित है अतः स्पष्ट किया गया है कि

1. महिला स्वतन्त्र मतदाता नहीं है
2. अधिकतर महिला निरक्षर है।
3. ज्यादातर महिलाओं का निर्णय अपने परिवार के पुरुष सदस्यों पिता,पति,पुत्र आदि की राय पर निर्भर करता है।
4. महिलाओं में सूचनाओं व राजनीति जागरूकता अभाव होता है। तथा महिला राजनैतिक रूप से सचेत नहीं है

देखा गया कि संविधान के लागू होने के बाद चुनाव लड़ने व चुनाव प्रचार करने और मतदान करने के लिहाज से चुनावों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगातार बढ़ती गयी है। मतदाताओं की संख्या में पुरुष स्त्री मतदाताओं की संख्या के बीच फर्क लगातार कम हुआ है। महिलाओं का चुनावों में उम्मीदवार के रूप में राज्य व राष्ट्रीय विधायिका सदस्य के रूप में राजनीतिक हिस्सेदारी का एक और स्तर है। इस तरह महिलाओं के सामने आज विशाल व चुनौती पूर्ण जिम्मेदारियों मुँह बाये खड़ी हैं चाहे औपचारिक संस्था के जरिये हो या स्वयं अपनी अनौपचारिक प्रक्रिया के जरिये महिलाएँ इन चुनौतियों से निपटने के लिए कमर कसे हुए हैं। भारतीय लोगों ने एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक संधीय संविधान अंगीकार अधिनियमित आत्मसमर्पित किया। इस संविधान में स्त्रियों को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किये और साथ ही जाति वर्ग धर्म जन्मस्थान और शैक्षणिक या सम्पत्ति के आधार पर भेदभाव के बिना भारत के सभी नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया। इस प्रकार भारतीय संविधान में महिलाओं की स्वतंत्र तथा सक्रिय और समान राजनीतिक हिस्सेदारी को स्वीकार किया गया। राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका के लिए उनके राजनीतिक सबलीकरण कि जरूरत का रेखांकित किया गया। लोकतंत्र और विकास के क्षेत्र में उन्नति के बावजूद सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की हिस्सेदारी और भूमिका के विषय में कोई उल्लेखनिय प्रगति नहीं हुई है और आज भी महिलाएँ राजनीतिक के साथ-साथ सामाजिक अर्थिक क्षेत्रों में हासिये पर ही हैं। विकास सम्बन्धि रणनीतियाँ और प्रक्रियाओं से नकारात्मक और हानिकारक शक्तियों की ऐसी बाढ़ आ रही है जिसका महिलाएँ प्रमुख शिकार बनती जा रही हैं।

विधानसभा में महिलाएँ

राजस्थान का एककीकरण 30 मार्च 1949 को हुआ किन्तु प्रथम विधानसभा का गठन मार्च 1952 में हुआ। सन् 1952 में पहली बार स्वतंत्र भारत में महिलाओं को राजनीतिक संस्थाओं को देखना संभव हुआ। राजस्थान में 1952 में प्रथम विधानसभा का गठन हुआ। आम चुनावों के बाद टीकाराम पालिवात प्रथम मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए। सन् 1952 से 2018 तक पन्द्रह विधानसभा चुनाव सम्पन्न हो चुके इसमें अब तक राज्य विधानसभा के लिए आम चुनावों में कुल 1079 महिलाओं ने चुनाव में भाग लिया जिनमें से 198 अर्थात् 18.35 प्रतिशत महिलाये निर्वाचित हुईं शेष 881 महिलाओं व हारने वाली महिलाओं में से 673 महिलाओं की जमानत जब्त हुई है अब तक के राज्य विधानसभा के कुल 15 चुनावों में सबसे ज्यादा महिलाएँ पन्द्रहवें आम चुनाव में खड़ी हुईं जिनकी संख्या 189 थी। किन्तु उनमें से केवल 24 महिलाएँ निर्वाचित हो सकी यदि हम अब तक के चुनावों में सबसे ज्यादा विजयी महिलाओं की संख्या देखें तो वह 13वीं व 14वीं विधानसभा में 28-28 रही है।¹ राजस्थान विधानसभा भारतीय राज्य राजस्थान में एकसदनीय विधानसभा है। यह राज्य की राजधानी जयपुर में स्थित है। विधानसभा सदस्यों अर्थात् विधायकों का चुनाव सीधे जनता करती है। वर्तमान में इसमें विधायक संख्या 200 है। यदि जल्दी भंग नहीं किया जाए तो इसका समयान्तराल काल 5 वर्ष है। 1952 में 160 सीटों विधानसभा चुनाव हुए। तथा 1957 में विधानसभा की सीटे 160 से बढ़ाकर 176 किया गया था। तथा 1967 में सीटों को बढ़ाकर 184 कर दिया गया था। और 1977 में 184 से बढ़ाकर 200 कर दिया गया था तथा 2026 तक 200 ही रखा जाएगा। वर्तमान में राजस्थान की विधानसभा में 200 सीटें हैं। 15 वीं विधानसभा के अध्यक्ष सी.पी.जोशी तथा मुख्यमंत्री अनुभवी नेता अशोक गहलोत हैं। अशोक गहलोत ने तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ ली। दिसम्बर 2021 तक पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के बाद अशोक गहलोत सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री के रूप कार्यकाल रहा है। वर्ष 2018 में हुए 15वीं विधानसभा चुनाव कांग्रेस 100 सीटे जीतकर सरकार बनाई। राजस्थान विधानसभा में 200 सीटों में से 141 सीटें समान्य वर्ग के लिए, 34 सीटे अनुसूचित जाति के लिए, 25 सीटें अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। राजस्थान में 15 वीं विधानसभा में अपेक्षाकृत कम संख्या में ही महिला विधायक बन पाई है। कुल मिलाकर यह आंकड़ा 24 रहा जबकि 14 वीं विधानसभा में 28 महिलाएँ विधायक के रूप में विधासभा पहुँची थी। 15वीं विधासभा के लिए हुए चुनाव में चहां कांग्रेस ने 27 महिलाओं को टिकट दिए वहीं भाजपा ने 23 महिलाओं का अपना उम्मीदवार बनाया। इनमें से कांग्रेस की 11 और भाजपा की 10 उम्मीदवार जीत दर्ज की है। राज्य में 200 सीटों के लिए चुनाव में 189 महिला प्रत्याशियों ने चुनावी समर में अपना भाग्य आजमाया लेकिन इनमें से सिर्फ 24 महिलाओं ने जीत दर्ज की जो कि 14 वीं विधानसभा से चार कम है। वही 2013 में 166 महिलाओं में से 28 महिलाओं ने जीत दर्ज की थी। पहली बार मेड़ता से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की महिला उम्मीदवार इन्द्रा देवी चुनी गई है। बीजेपी की बात करे तो झालरापाटन से वसुंधरा राजे अजमेर उतर से अनिता भदेल, अनूपगढ़ से संतोष बावरी, बीकानेर पूर्व से सिद्धि कुमारी, धौलपुर से शोभारानी कुशवाह, केशोरायपाटन से चन्द्रकांता मेंघवाल, लाडपुर से कल्पना देवी, राजसमन्द से किरण माहेश्वरी, सोजत से शोभा चौहान और सूरसागर से सूर्यकांता व्यास चुनी गई हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो बामनबास से इन्द्रा मीणा, बगरू से गंगादेवी, बानसूर से शकुलता रावत, जायल से मंजू देवी, जोधपुर से मनीषा पवार कामा से जाहिदा खान, किशनगंज से निर्मला सहरिया, ओसिया से रिका मदेरणा, सादुलपुर से कृष्णा पूनिया, शेरगढ़ से मीना कंवर और सिकराय से ममता भूपेश चुनी गई है।

तालिका 1 में चौदहवीं और पन्द्रहवीं विधानसभा के हुए चुनावों में राजस्थान विधानसभा में दलीय स्थिति का सांख्यिकी विवरण दिया गया है। तालिका 1 से स्पष्ट होता है कि राजस्थान की 14 वीं विधानसभा में दिसम्बर 2013 में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 163 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 21 सीटें मिली, राष्ट्रीय लोकदल को 4 सीटें, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 2 सीटें, बहुजन समजा पार्टी को 3 सीटों पर जीत दर्ज की तथा राजस्थान की 15वीं विधानसभा में दिसम्बर 2021 तक दलगत स्थिति कांग्रेस के पास सीटे 108, भाजपा के पास 71 सीटे तथा निर्दलीयों के पास 13 सीटें राष्ट्रीय लोक दल 1 सीटे, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास 3 सीटें भारतीय ट्राइबल पार्टी के पास 2 सीटें तथा भारतीय कम्युनिष्टि पार्टी के पास 2 सीटें धारित है। जबकि राजस्थान की 15 विधानसभा के दिसम्बर 2018 हुए चुनाव में कांग्रेस को 100 सीटे, भारतीय जनता पार्टी 73, बहुजन समाजवादी पार्टी को 6 सीटें प्राप्त हुई जबकि 13 सदस्य निर्दलीय निर्वाचित हुए थे।

तालिका 1: राजस्थान विधानसभा – 14वीं व 15वीं विधानसभा में दलीय स्थिति

क्र.स.	पार्टी का नाम	14वीं विधानसभा	15वीं विधानसभा
1	इन्डियन नेशनल कांग्रेस	21	100
2	भारतीय जनता पार्टी	163	73
3	निर्दलीय	7	13
4	राष्ट्रीय लोक दल	4	1
5	राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी	2	3
6	भारतीय ट्राइबल पार्टी	0	2
7	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी	0	2
8	बहुजन समाज पार्टी	3	6
	कुल	200	200

तालिका 2 में चौदहवीं और पन्द्रहवीं विधानसभा के हुए चुनावों में राजस्थान विधानसभा में प्रमुख पदाधिकारियों का विवरण दिया गया है। तालिका 2 से स्पष्ट होता है कि चौदहवीं विधानसभा के दौरान राज्यपाल श्री कल्याण सिंह, विधानसभा अध्यक्ष पद कैलाश मेधवाल, मुख्यमंत्री पद पर वंसुधरा राजे तथा प्रोटेम स्पीकर प्रद्युमन सिंह थे तथा पन्द्रहवीं विधानसभा के दौरान राज्यपाल कलराज मिश्रा, विधानसभा अध्यक्ष पद पर श्री सी.पी.जोशी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, विपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया, मुख्य सचेतक श्री महेश जोशी, उपमुख्य सचेतक श्री महेन्द्र चौधरी पद पर आसीन है।

तालिका 2: राजस्थान विधानसभा – 14वीं व 15वीं विधानसभा के प्रमुख पदाधिकारी

क्र.स.	पदीय स्थिति	14वीं विधानसभा के प्रमुख पदाधिकारी	15वीं विधानसभा के प्रमुख पदाधिकारी
1	राज्यपाल	श्री कल्याण सिंह	श्री कलराज मिश्रा
2	अध्यक्ष	कैलाश मेधवाल	श्री सी.पी.जोशी
3	प्रोटेम स्पीकर	प्रद्युमन सिंह	श्री गुलाब चंद कटारिया
4	मुख्यमंत्री	वंसुधरा राजे	श्री अशोक गहलोत

आम धारणा है कि महिलाएँ राजनीति में शामिल नहीं होना चाहती हैं किन्तु सर्वेक्षण के निष्कर्ष इसके उलट हैं सेंटर फॉर दी स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज का सर्वे बताता है कि 28 प्रतिशत महिलाएँ राजनीति में कैरियर बनाना चाहती हैं यह राय हर क्षेत्र और सामाजिक समूहों की महिलाओं में समान है फिर चाहे महिला उँची जाति की हो, या वो नीची जाति या फिर दलित परिवारों से। आदिवासी महिलाएँ ही इसमें एकमात्र अपवाह है। बड़े शहरों की महिलाएँ छोटे शहरों में रहने वाली महिलाओं की तुलना में राजनीति में शामिल होने के लिए अधिक इच्छुक है। 2019 की लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक है। इसमें ज्यादा संख्या तृणमूल कांग्रेस और बीजू जनता की सांसदों की है क्योंकि इन दोनों ही दलों की बड़ी संख्या में महिला उम्मीदवार को टिकट दिए थे। महिला मतदाताओं में यह साझा धारणा है। कि महिला प्रतिनिधि संसद व विधानसभा में पुरुषों की तुलना में महिलाओं के हितों को बेहतर ध्यान रख सकती है।

निष्कर्ष

राजनीतिक सहभागिता विकास का प्रमुख आयाम है। अतः महिला विकास के संदर्भ में राजनीतिक सहभागिता का अध्ययन अपरिहार्य है। वर्तमान समय में किसी भी देश की उन्नति व विकास उस देश की महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता पर निर्भर करती है। 21 वीं सदी की महिलाएँ प्रेम और करुणा की देवी होने के साथ-साथ महत्वाकांक्षी स्वावलम्बी, दूरदर्शी एवं एक सफल योद्धा स्वरूप है किन्तु फिर भी राजनीति देश की हो या राजस्थान राज्य की आधी आबाधी महिलाओं की होने के बावजूद भी राजनीति में पुरुष की भूमिका अधिक रही है। राजनीतिक चेतना के अभाव एव इनके कम शिक्षित होने के कारण सरपंचपति, प्रधानपति जैसे शब्द प्रचलन में आये हैं। इससे स्पष्ट होता है कि परोक्ष रूप से राजनीति में अभी भी पुरुषों का दबदबा महिलाओं से अधिक है फिर भी महिलाएँ आज भी सही रूप से राजनीति में सहभागि हो रही हैं। महिलाओं की राजनीति जागरूकता के लिए संरचनात्मक सुधार व राजनैतिक पर्यावरण में सुधार लाना होगा महिलाओं का उनके अधिकारों कर्तव्यों एव वैधानिक प्रावधानों से अबगत कराना होगा ताकि वे राजनीति के अंग में अपनी भूमिका सक्रिय रूप से निभा सकें। इसके लिए पुरुष प्रधान समाज व राजनैताओं को भी सहयोग देना होगा। इसलिए महिलाओं को राजनीतिक प्रक्रिया और संस्थाओं में हिस्सेदारी तथा राज्य के कामकाज व राज्य मशीनरी पर नियंत्रण पहल करनी जरूरी है।

सन्दर्भ सूची

1. आर्य, साधना, निवेदिता मेनन, लोकनीता जिनी "नारीवादी राजनीति" पृ.स. 343
2. चतुर्वेदी, इनाक्षी "महिला नेतृत्व एवं राजनीतिक सहभागिता" आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर पृ.स.202
3. मौर्य, शैलन्द्र "महिला राजनैतिक नेतृत्व व विकास" पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर पृ.स.23
4. शर्मा, देवदत्त "विधानबोधनी" जनवरी –अप्रैल 2017 पृ.स. 3, 6
5. विधायिका एवं महिला प्रतिनिधि, विधान बोधनी, पहली से चौदहवीं राजस्थान विधानसभा में निर्वाचित महिला विधायक अंक, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, जयपुर जनवरी-अप्रैल, 2017
6. स्टैटिकस रिपोर्ट ऑन जर्नल इलेक्शन, 2013 टू द लेगिस्टेटिव असेम्बली ऑफ राजस्थान, भारतीय चुनाव आयोग, नई दिल्ली पृ.स.11

7. पत्रिका- डाउन टू अर्थ जनवरी 2019 पृ.स. 31
8. मीण, सुनीता "जनजातीय महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता" पृ.स. 151
9. www.rajassembly.nic.in
10. दैनिक भास्कर 11 दिसम्बर 2021